ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन (मध्य प्रदेश के सतना जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Public Distribution System: Implementation and Evaluation (With Special Reference to District Satna, Madhya Pradesh)

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

निकिता जायसवाल
शोध छात्रा,
राजनीति शास्त्र विभाग,
अवधेश प्रताप सिंह
विश्वविद्यालय, रीवा म.प्र भारत

एस.पी. शुक्ल
प्राध्यापक,
राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह,
रीवा म.प्र भारत

सारांश

लोकतंत्र की सफलता का आधार सहभागिता एवं लोकमुखोपेक्षिता है जिसकी सशक्त अभिव्यक्ति शासन की उन योजनाओं से होती है जो लोकहितकारी होते हैं। जनता और जनता के लिए कल्याणकारी शासन राज्य सुनिश्चित करता है और एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभाता है। आज सूचना क्रान्ति का दौर है। एक तरफ सूचना–संचार क्रांति के आने से शासन के कार्यों का विस्तार हुआ है तो दूसरी ओर जनता की शासन तक पंहुच सुनिश्चित हुई है। संपोषक विकास एवं समावेशन की आवश्यकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता है[1]। भारतीय संविधान सर्वसमावेशी एवं समतामूलक समाज के लक्ष्य को साथ–साथ लेकर चलता है, जिसकी अभिव्यक्ति संविधान के भाग–3 एवं भाग–4 से होती है । सर्वसमावेशी लोकतंत्र समाज के उन वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ता है जो अति विपन्न, अत्यन्त पिछड़े एवं दलित हैं, जिनका मूल संघर्ष रोटी से प्रारंभ होता है तथा कपड़ा और मकान उनके लिए गौण हैं। ऐसी स्थिति में समाज में अत्यन्त गरीब और साधन विहीन जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा उन्हें जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना जनमुखी सरकार की प्राथमिक आवश्यकता के साथ–साथ प्राथमिक जिम्मेदारी भी है[2]। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुहैया कराना लोककल्याणकारी राज्य का महत्त्वपूर्ण कार्य है तथा इसके साथ ही जीवन को सुगम और चिंतामुक्त बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लोककल्याणकारी राज्य के प्राथमिक कर्त्तव्यों में से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी अधिकार एवं सुरक्षा की गारंटी का एक महत्वपूर्ण उपादान है। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्य प्रदेश के सतना जिले में सरकार के इसी लोककल्याणकारी कार्यक्रम और जनता के बीच तक इसके पहुँचने की क्रियान्वयन प्रणाली और उसकी वर्तमान स्थिति को शोध के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

The essence of the success of democracy is participation and public accountability, and it finds it's strong expression in schemes of governance which are for public good. Welfare governance for the people and the public is ensured by the State and it has a complementary role to play for one another. Today is the era of IT (information and technology) revolution. On the one hand, the advent of ICT (Information and communication technology) Revolution has increased the scope of state action, it has enhanced the people's access to governance on the other. The need for sustainable development and inclusion is an essential requirement of a democratic system. The Indian Constitution carries with it the goal of an inclusive and egalitarian society, which is vested in Part-3 and Part-4 of the Constitution. All-inclusive democracy connects those sections of the society in the social mainstream, which are extremely oppressed, extremely backward and Dalit, whose basic struggle starts with roti and clothing and housing are secondary to them. In such a situation, the major responsibility of peopleA centric government is to raise the standard of living of the poor and to avail them basic amenities of life. Providing health and safety is an important task of the welfare state and at the same time welfare state is endowed with the responsibility to ensure food security and making their life smooth and care free. Public distribution system is an important initiative in guaranteeing this right and security. In the current research paper, an attempt has been made to analyze the level of implementation of the welfare schemes of the Government with special reference to District Satana Madhya Pradesh.

मुख्य शब्द : पीडीएस, खाद्य सुरक्षा, समावेशन, समतामूलक समाज, लोकतंत्र।

PDS (Public Distribution System), Food Security, Inclusion, Egalitarian Society, Democracy.

प्रस्तावना

लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना बेहद आवश्यक है। शासन अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए लोकहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग की स्थिति में सुधार कर उनके जीवन को सुखपूर्ण और श्रेष्ठतर बनाया जा सके[3]। जनहितकारी योजनाओं का उद्देश्य सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना होता है। 1918 में प्रकाशित 'Encyclopaedia of Social Science' में कहा गया कि लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है।[4] सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन की इसी पहल का परिणाम है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का इतिहास द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ से माना जाता है। उस समय की औपनिवेशिक सरकार ने कुछ चुने हए शहरों में गरीबो को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराया था। भारत में समययह व्यवस्था आयातित अनाजों के वितरण पर निर्भर हुआ करती थी। समय–समय पर जरुरत के अनुसार पीडीएस का स्वरुप बदलता रहा। 1960 के आस–पास बढ़ती जनसंख्या और अन्य कारणों से खाद्यान्नों की आपूर्ति में गिरावट होने लगी तब ऐसा महसूस हुआ कि यह एक जटिल समस्या के रूप में उभर सकती है। ऐसे भी सरकार ने तत्काल कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम का गठन किया जिससे अनाजों का सार्वजनिक वितरण जारी रखा जा सके। इस माध्यम से घरेलू उपज और खाद्यान्नों के संकट का हल निकालने की कोशिश की गई। 1970 में यह एक सार्वभौमिक योजना के रूप में विकसित हुई जिसमें लोगों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया। 1992 तक यह एक सामान्य योजना के तहत चलती रही जिसमें बिना किसी लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं तक खाद्य सामग्री की पहुँच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता रहा। इसी वर्ष पुनरुत्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Revamped Public Distribution SystemA RPDS) के रूप में इस योजना को पुनर्गठित किया गया जिसका लक्ष्य दूर–दराज, पहाड़ी और दुर्गम स्थलों पर निवास करने वाले वंचित तबकों की आजीविका की सुरक्षा करना था।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरुप नए रूप में बीसवीं सदी के आखिरी दशक में देखने को मिलता है। 1 जून 1997 को लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System] TPDS) की शुरुआत हुई जिसका मुख्य लक्ष्य देश की गरीब आबादी की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना था। इस लक्षित जनता को गरीबी रेखा के नीचे (BPL) और गरीबी रेखा के ऊपर (APL) दो भागों में विभक्त करते हुए उन तक खाद्यान्न की पहुँच को सुनिश्चित किये जाने के लिए कई सहायक योजनाओं की भी शुरुआत की गई[5]। अन्त्योदय अन्न योजना (2000) इसी शुरुआत की पहली कड़ी मानी जाती है। इसके अगले चरण के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को देखा जा सकता है जो खाद्य तक लोगों की पहुँच को न्यायिक अधिकार प्रदान करता है[6]। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक लाभार्थी को तीन रूपये प्रति किलोग्राम चावल और दो रूपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर गेहूं (प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम) मिल सके। इसमें गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ और बच्चों के लिए मुफ्त अनाज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का पालन करने हेतु पीडीएस के तहत काफी मात्रा में अनाजों का आवंटन किया जा रहा है। यह अधिनियम मानव जीवन चक्र में खाद्य की सुनिश्चितता और कुपोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता पर ध्यान दिया जाता है।[7] यह अधिनियम एक अत्यंत क्रांतिकारी और व्यापक कदम था और इसी कारण यह अत्यधिक विवादों से भी घिरा रहा लेकिन जनकल्याणकारी कार्य और नागरिकों की आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए इसे लागू करना अपरिहार्य बन गया।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी सामग्रियां उचित मूल्य पर सरकारी दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। उचित कीमत व उचित समय पर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाने तथा उनके पोषण के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों साझा सहयोग से पीडीएस प्रणाली का संचालन किया जा रहा है[8] । दूसरे अर्थों में यह एक प्रकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसके माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुंचाया जाता है जिसके लिए केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारें संयुक्त रूप से जिम्मेदार होती हैं। केन्द्र सरकार सस्ता खाद्यान उपलब्ध कराती है और राज्य सरकारों द्वारा आवंटित उचित दर की दुकानों (राशन की दुकान) के द्वारा उसका वितरण स्थानीय स्तर पर किया जाता है।[9]

वर्तमान में खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 'एक देश–एक राशन कार्ड' योजना लागू करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप 30 जून 2020 तक इस योजना को लागू किये जाने का लक्ष्य किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है[10] ।1

सार्वजनिक वितरण प्रणली का प्रमुख उद्देश्य

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वार्ड में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामाग्री का आवंटन करके दिया जाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं[11]–

1. समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना।

2. आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व गुणवत्ता को बनाए रखना।
3. व्यापारियों की जमाखोरी, मुनाफाखोरी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण।
4. प्रति व्यक्तियों न्यूनतम उपभोग उपलब्ध करवाना।
5. गरीबी के प्रतिशत में समग्र कमी लाना।
6. आवश्यक वस्तुओं की मात्रा व पूर्ति में संतुलन बनाए रखना।

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारतीय खाद्य निगम (थ्ब्) की प्रमुख भूमिका है। यह संस्था पहले अनाज की खरीददारी और भंडारण करती है। इसी भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण जनता के बीच होता है। पूर्व में यह उल्लिखित है कि इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य नीति के लक्ष्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा पूरे देश में खाद्यानों का उचित कीमत पर वितरण करना है।[11]

विभिन्न समितियां और सुधार

भारत सरकार ने न्यायाधीश डी.पी। वाधवा की अध्यक्षता में खाद्यान्न वितरण प्रणाली की समीक्षा और अध्ययन के लिए एक समिति गठित की जिसने अप्रैल 2010 मे अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की रिपोर्ट से चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। समिति ने स्पष्ट तौर पर पाया कि पीडीएस खाद्यान्न में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है और उन गरीबों तक खाद्यान्न नही पंहुच पा रहा जिन्हें इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है[12]। इसी प्रकार 14 अक्टूबर 2013 को 'आपरेशन ब्लैक' नाम से पीडीएस पर एक स्टिंग आपरेशन किया गया। इस आपरेशन ने इस बात का पता लगाने में मदद की कि कैसे वितरण की सामग्री राशन की दुकानों के बजाए मिलों तक पहुँच जाता है। [8] इसके अलावा समय–समय पर च्वै प्रणाली में सुधार करने के लिए इसके ढांचे मे कुछ सुधार किए गए। पूर्व में उल्लिखित त्च्वै, ज्च्वै, अन्त्योदय अन्न योजना तथा विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रमुख इसी तरह के सुधार के परिणाम हैं। [13]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जिसका संबंध देश के प्रत्येक नागरिक की आजीविका से है। इस दृष्टि से यह देखा जाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि देश की आबादी के बीच इस विशाल योजना किस तरह के क्रियान्वित होती है और शासन–प्रशासन के कौन–कौन से अंग और घटक इस परियोजना की पूर्ति में भागीगारी करते हैं। साथ ही यह भी देखा जाना आवश्यक हो जाता है कि इस वितरण प्रणाली के लाभार्थी वर्ग की क्या प्रतिक्रया है और उन वर्गों पर इस महत्त्वपूर्ण योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान में जारी भारत सरकार की इसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

शोध का उद्देश्य (Objective of the study)

1. योजना के निर्धारित उद्देश्यों एवं उपलब्धियों का आंकलन करना।
2. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में चयनित हितग्राहियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना।
3. योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
4. पी.डी.एस। योजना के क्रियान्वयन में आने वाली संस्थागत बाधाओं एवं उनके कारणों का आंकलन करना।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

इस अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के सतना जिले को चुना गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए 100 हितग्राहियों का संमक सोदेश्यपरक निर्देशन प्रविधि के माध्यम से चयन किया गया है। ये हितग्राही मूलरुप से सतना नगरीय क्षेत्र से संबंधित हैं। साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विविध आयामों पर हितग्राहियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया है।

आंकड़ों का संग्रहण (Data Collection)

प्रस्तुत शोध पत्र में पीडीएस योजना के विभिन्न पहलुओं– जैसे योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं से संतुष्टता, वितरण सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री की पर्याप्तता, निर्धारित मात्रा में सामग्री का आवंटन, योजना के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति से संबंधित अनेक पहलुओं तथा योजना के प्रभाव इत्यादि से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण–संकलन लक्षित लाभार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण (Data Analysis)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं प्रभाव के आंकलन हेतु चयनित लाभार्थियों से एकत्रित की गई जानकारियों का विश्लेषण कर योजना के निर्धारित उद्देश्यों एवं उनके मापदण्डों के अनुसार परिणामों तक पहुंचा गया और प्राप्त परिणामों को सामान्यतः प्रतिशत के रुप में दर्शाया गया है। सतना जिले मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस योजना की उपलब्धियों को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है।

क्रं.	वर्ष	लाभान्वित हितग्राही संख्या
1	सतना नगर निगम 2013–17	124664
2	सतना जिला– 2013–17	1733899

सतना जिले में सभी पात्र हितग्राहियों को पात्रता अनुसार शासन द्वारा खाद्यान्न का (गेंहू, चावल, केरोसीन, शक्कर) तथा जनवरी 2019 से चना का वितरण शत–प्रतिशत किया जा रहा है। पीडीएस के अंतर्गत सभी कार्यों की सही ढंग से हो सके, इसकी निगरानी के लिए हर क्षेत्र में विकासखण्ड अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकरी के रुप में कनिष्ठ एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी पदस्थ किए जाने की व्यवस्था है। ये सभी अधिकारी संबंधित क्षेत्र में

संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्रतिमाह वितरित किए जाने वाले राशि सामग्री की निगरानी करते हैं। उचित लाभार्थी तक सामग्री पहुंचे इसके लिए वर्तमान में च्वै (पांइट आफ सेल) मशीन के माध्यम से भी राशन वितरण किया जा रहा है।

पीडीएस सेवा मे सूचना एवं पारदर्शिता के लिए www-nfsa-samagra-gov.पद पोर्टल की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्न का वितरण प्रतिमाह 1 से 21 तारीख तक किया जाता है। पीडीएस प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को भी राशन की सुविधा प्रदान की जाती है। इनमें अनुसूचित जातिध्जनजाति, अनाथ आश्रम के निवासी, बीड़ी मजदूर, केश शिल्पी कार्डधारक, भूमिहीन कोटवार आदि प्रमुख हैं। सतना में कुल 48 सार्वजनिक वितरण केंद्र बनाए गए हैं जिनमें इस प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का विश्लेषण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन का स्तर पता करने के लिए हितग्राही उत्तरदाताओं से पूछ गए प्रश्नों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन एवं विश्लेषण निम्न प्रकार है–

क्या आप पीडीएस योजना से मिलने वाली सहायता से संतुष्ट हैं? पर प्राप्त परिणाम और विश्लेषण

क्र.सं.	पीडीएस से मिलाने वाली सहायता से संतुष्ट स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	आंशिक संतुष्ट	65	65:
2	पूर्ण संतुष्ट	20	20:
3	अल्प संतुष्ट	8	8:
4	बिल्कुल नहीं	7	7:
कुल		100	100%

उत्तरदाताओं में से 65 उत्तरदाता (चयनित समंक 65) सार्वजनिक वितरण से मिलने वाली सहायता से आंशिक रुप से संतुष्ट हैं जबकि 20 उत्तरदाता (चयनित संमक 20) योजना के क्रियान्यवन सतर से पूर्ण रुप से संतुष्ट पाए गए। 8 उत्तरदाता (चयनित समंक 8) योजना के क्रियान्वयन की स्थिति से आंशिक रुप से संतुष्ट हैं जब कि 7 उत्तरदाता (चयनित समंक 7) योजना के क्रियान्यवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि क्रियान्वयन स्तर पर यह योजना हितग्राहियों तक पूर्ण रुप से पंहुचने में सफल नहीं हुई है।

योजना के अन्तर्गत सामग्री वितरण में समस्या का आंकलन करने के लिए उत्तरदाताओं से पूछे गए प्रश्न, क्या सामग्री निर्धारित मूल्य पर मिलती है? पर प्राप्त उत्तर पर आधारित परिणाम एवं विश्लेषण

क्र.	सामग्री निर्धारित मूल्य पर प्राप्त होना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	47	47:
2	नहीं (ज्यादातर नमक)	53	53:
	कुल	100	100:

उत्तरदाताओं में से 47 उत्तरदाता (चयनित समंक 47) ने बताया कि सामग्री निर्धारित मूल्य में प्राप्त होती है। जबकि 53 उत्तरदाता (चयनित समंक 53) ने यह बताया कि प्राप्त होने वाली सामग्री विशेषकर नमक निर्धारित मूल्य पर प्राप्त नहीं होता है। उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों को उचित मूल्य पर सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है।

वितरण सामग्री प्राप्त होने में समस्या के प्रश्न, क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाली सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है? यदि हां तो किस प्रकार की? पर प्राप्त उत्तर पर आधारित परिणाम एवं विश्लेषण

क्र.	सामग्री लेने में कठिनाई	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पहचान के व्यक्ति को प्राथमिकता	24	24:
2	कम सामग्री देना	30	30:
3	समय पर सामग्री उपलब्ध न करना	16	16:
4	सामग्री देने में टालमटोल करना	30	30:
	कुल	100	100:

उत्तरदाताओं में से 24 उत्तरदाताओं (चयनित समंक 24) ने बताया कि सामग्री लेने में पहचान के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। 30 उत्तरदाताओं (चयनित समंक का 30) ने बताया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम सामग्री प्रदान की जाती है। जबकि 16 उत्तरदाता (चयनित समंक का 16) ऐसे हैं जिन्हें समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं होती है वहीं 30 उत्तरदाताओं ने (चयनित समंक का 30) बताया कि दुकानदार सामग्री देने मे टालमटोल करते हैं।

उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के परिणामों से स्पष्ट होता है कि पीडीएस योजना के हितग्राहियों को सामग्री प्राप्त होने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इससे कई बार हितग्राही योजना से मिलने वाली सामग्री का पूरा लाभ नहीं ले पाता जो योजना के क्रियावयन की कमियों को दर्शाता है।

वितरण सामग्री प्राप्त होने में जब समस्याएं आती हैं तो वितरणकर्ताओं द्वारा किस तरह के उत्तर अथवा प्रतिक्रयायें दी जाती हैं? प्रश्न पर प्राप्त उत्तर पर आधारित परिणाम एवं विश्लेषण–

क्र.	वितरणकर्ता द्वारा क्या कहा गया	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1	सामग्री कीआपूर्ति नहीं हुई	67:	67:
2	सामग्री की आपूर्ति कम हुई	34	34:
	कुल	100	100:

उत्तरदाताओं में से 67 उत्तरदाताओं (चयनित समंक 67) ने बताया कि वितरण के लिए उनकी दूकान को ही सामग्री आवंटित नहीं हुई है। जबकि 34 उत्तरदाताओं ने (चयनित समंक 34) बताया कि वितरणकर्ता द्वारा यह कहा जाता है कि कम सामग्री आवंटित हुई है और कम की ही आपूर्ति कम हुई है । उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के परिणामों से स्पष्ट है कि सामग्री का निर्धारित मात्रा में आवंटन न किये जाने से इस योजना का पूरा लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।

शिकायत निवारण तंत्र की स्थिति के बारे में पूछे गये प्रश्न, क्या पीडीएस के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है? पर प्राप्त उत्तर पर आधारित परिणाम एवं विश्लेषण–

क्र	शिकायत निवारण तंत्र की मौजूदगी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	14	14:
2	नहीं	86	86:
योग		100	100:

उत्तरदाताओं में से 14 उत्तरदाता (चयनित समंक14) बताते हैं कि पीडीएस में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है जबकि 86 उत्तरदाता (चयनित समंक 86) ने बताया कि योजना के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र की कोई सुविधा नहीं है। इससे यह भी संभावना बनती है कि या तो हितग्राही शिकायत तंत्र की व्यवस्था से नहीं परिचित हैं या फिर यह व्यवस्था उचित ढंग से काम नहीं करती है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाले खाद्यान्नों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न, आपको पीडीएस योजना में कौन–कौन से खाद्यान्न मिलते हैं? पर प्राप्त उत्तर पर आधारित परिणाम एवं विश्लेषण–

क्र.	खाद्यान्न के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	गेहूँ	---	---
2	चावल	---	---
3	चना	---	---
4	उपर्युक्त सभी	100	100:
	कुल	100	100%

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाली सामग्री की पर्याप्तता पर पूछे गए प्रश्न, क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत प्राप्त सामग्री पर्याप्त होती है? पर प्राप्त उत्तर पर आधारित परिणाम एवं विश्लेषण–

क्र.	पीडीएस से प्राप्त सामग्री पर्याप्त होती है?	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	30	30:
2	नहीं	70	70:
	कुल	100	100:

30 उत्तरदाताओं (चयनित संमक 30) ने माना कि प्रदाय की जाने वाली सामग्री पर्याप्त नहीं होती है जबकि 70 उत्तरदाताओं (चयनित संमक के 70) ने माना कि प्रदाय की जाने वाली सामग्री पर्याप्त होती है। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि हितग्राहियों को मिलने वाली सामग्री उनके परिवार के भरण–पोषण के लिए अपर्याप्त होती है।

परिणाम एवं निष्कर्ष (Result and Conclusion)

उक्त शोध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों से पूछे गये प्रश्नों के बिन्दुवार आकड़ों और विश्लेषण के माध्यम से हमें समग्र रूप में सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी कई तथ्यों का पता चलता है। चयनित निदर्शन के माध्यम से किये गए अध्ययन में कई ऐसे तथ्य पता चलते हैं जो इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को समग्र रूप में दर्शाते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा इस योजना तक लोगों की पहुँच का है। इस संबंध में प्राप्त परिणाम यह इंगित करते हैं कि हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित होने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे अधिकार एवं जागरूकता की कमी भी एक कारण हो सकती है लेकिन आंकड़ों से यह पता चलता है कि क्रियान्वयन की इकाइयों में कमियाँ हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि नमक जैसी सामग्री का भी निर्धारित मूल्य नहीं है। कहने का आशय यह है कि सरकारी निर्धारित दर पर नमक का वितरण नहीं किया जाता है। समय पर

राशन न मिलने की बात अधिकतर हितग्राही करते हैं। एक तरह जहां सरकार खाद्य सुरक्षा की गारंटी देती है वहीं समय पर राशन न मिलने से आजीविका संबंधी समस्या पैदा होगी और इसका संबंध लोगों के स्वास्थ्य और पोषण से भी है इसलिए समय पर राशन वितरण सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत और राशन की दुकानों के मालिकों का अनुचित और आनाकानी भरा व्यवहार भी इस योजना की क्रियान्वयन में गतिरोध पैदा करता है। इसके लिए और अधिक सरल और व्यावहारिक वितरण प्रणाली बनाए जाने की भी आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *स्रोत– सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवाओं का प्रदाता, एन. भास्कर राव, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2017*
2. *स्रोत– सामजिक मुद्दे, जी. एल. शर्मा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2015*
3. *राजनीति विज्ञान, पुखराज जैन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2019, पृष्ठ सं. 170*
4. *स्रोत– सामाजिक प्रशासन, सुरेन्द्र कटारिया, आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशन, जयपुर 2016*
5. *भारत और उसके विरोधाभास, ज्यां द्रेज–अमर्त्य सेन, अनु. अशोक कुमार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2018*
6. *https://www.hindinotes.org/2018/01/public-distribution-system-in-hindi.html*
7. *Excess food stock, PDS and procurement policy, working paper no. 5/2002 by Arvind Virmani and P V Rajeev, Planning Commission, December 2001*
8. *https://www.hindilibraryindia.com/india/poverty/*
9. *https://www.dhyeyaias.com/current-affairs/perfect-7-magazine/one-nation-one-rationA card*
10. *https://www.drishtiias.com/pdf/public-distribution-system-1.pdf*
11. *https://en.wikipedia.org/wiki/Food_Corporation_of_India*
12. *https://en.wikipedia.org/wiki/Public_distribution_systemogh-*